1073

कार्यालय जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,मेरठ।

पत्रांक:जि0सै0क0पु0 / जि0सै0बन्धु0 / 2021 दिनांक: 10 अगस्त, 2021

सेवा में,

जिला सूचना विज्ञान अधिकारी,(एनआईसी)
मेरठ।

विषयः– **सेवारत / पूर्व सैनिकों / दिवंगत सैनिकों की पत्नियों एवं उनके आश्रितों के कल्याणानार्थ मासिक बैठक का कार्यवृत्त–माह जुलाई 2021।**

महोदय,

कार्यालय जिलाधिकारी मेरठ के पत्र संख्या–399 / ओएसडी–कैम्प / 2015 दिनांक 05–06–2015 के अनुपालन में जिला सैनिक बन्धु की मासिक बैठक माह जुलाई 2021 के कार्यवृत्त की प्रति इस आशय से प्रेषित है कि कृपया कार्यवृत्त जिलाधिकारी महोदय की वैबसाइट पर अपलोड करने की कृपा करें।

2. कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्नक:उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

कैप्टन(आई एन) राकेश शुक्ला(अ0प्रा0)
अधिकारी

प्रतिलिपिः–

उप निदेशक, सूचना, मेरठ। –कार्यालय जिलाधिकारी मेरठ के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में इस कार्यालय की ई मेल आईडी– zsame-up@nic.in आपकी अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

कैप्टन(आई एन) राकेश शुक्ला(अ0प्रा0)
अधिकारी

अपर–जिलाधिकारी (मेरठ) महोदय की अध्यक्षता में दिनॉक–30 जुलाई, 2021 को सम्पन्न जिला सैनिक बन्धु की मासिक बैठक का कार्यवृत्त :–

उ0प्र0 शासन के आदेशानुसार पूर्व सैनिकों/दिवगंत सैनिकों की पत्नियों तथा उनके आश्रितों की समस्याओं का निस्तारण प्रतिमाह तीसरे शनिवार को बैठक कर, किया जाता रहा है। परन्तु कोविड के कारण यह बैठक फरवरी 2020 के बाद आयोजित नहीं की गई । माह जुलाई 2021 के बैठक अपर–जिलाधिकारी(नगर) महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 30 जुलाई 2021 को आयोजित की गई।सर्वप्रथम कैप्टन(आई एन) राकेश शुक्ला(अ0प्रा0) ,जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी,मेरठ द्वारा समस्त सभा का स्वागत किया गया ।

तदोपरान्त अपर– जिलाधिकारी(नगर) महोदय, की अध्यक्षता में सर्वप्रथम पूर्व सैनिकों/उनके आश्रितों के लम्बित प्रकरणों/ बिन्दुओं,बैठक के दौरान प्राप्त प्रार्थना–पत्र ऍव एजेण्डा बिन्दुओं का निराकरण निम्नवत किया गया ।

(1) दिनांक 24–06–2016 को श्रीमती मोहनी सिंह पत्नी शहीद कर्नल ओकांर सिंह,निवासी–ग्राम–दौराला,तह0–सरधना,मेरठ द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया कि सीलिंग भूमि में पुत्र का नाम दर्ज नहीं किया गया है। उक्त प्रार्थना–पत्र मूल रूप में चकबन्दी अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था। दिनांक 30 जुलाई 2021 की बैठक में उपस्थित चकबन्दी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि श्रीमती मोहनी सिंह द्वारा उक्त केस के रूचि नहीं ले रही है। चूँकि प्रकरण न्यायालय में लमबित है। इस पर अपर–जिलाधिकारी(नगर) महोदय ने आदेश दिये कि प्रकरण को बैठक से निकाल दिया जाये। तथा पुराने बिन्दुओं को भी इस बैठक से निकालने हेतु आदेश दिया है।
(कार्यवाही–चकबन्दी अधिकारी,मेरठ)

(2) दिनांक 30 जुलाई 2021 को बैठक के दौरान जगदीश पुत्र स0न0–4150719 नायक प्रताप राम निवासी 1005 सैनिक विहार ,नंगला ताशी,कंकरखेडा मेरठ ने एम.डी0ए0 के प्लाट की किश्त के बारे में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है, जो अपर–जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार एम0डी0ए0 को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है।
(कार्यवाही–मेरठ विकास प्राधीकरण)

(3) दिनांक 30 जुलाई 2021 को बैठक के दौरान एक्स नायक जय प्रकाश,निवासी–ग्राम व पो–डाबका,जिला–मेरठ ने प्लाट के ऐवज में रू0 2,30,000 लेने एवॅ हाउस टैक्स के बारे में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया,जो अपर–जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवॅ नगर निगम को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है।
(कार्यवाही–वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ एवॅ नगर निगम मेरठ)।

(4) दिनांक 30 जुलाई 2021 को बैठक के दौरान श्रीमती बिमलेश पत्नी शहीद सतीश कुमार निवासी–राम नगर कंकरखेडा मेरठ ने दो प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये। प्रथम जनपद–मेरठ में कृषि भूमि आबंटन तथा दूसरा जनपद–बिजनौर में अपनी जमीन पर कब्जा दिलवाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। अपर–जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार कृषि भूमि आंबटन हेतु उप–जिलाधिकारी मेरठ को पत्र भेज दिया गया है तथा जनपद–बिजनौर की जमीन पर कब्जा दिलवाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय मेरठ द्वारा एक पत्र जनपद बिजनोर को लिखने की संस्तुति की है।
(कार्यवाही–उपजिलाधिकारी,मेरठ एवॅ जिलाधिकारी कार्यालय मेरठ)

(5) दिनांक 30 जुलाई 2021 को बैठक के दौरान एक्स सैनिक नायब सूबेदार कन्हैया लाल कौशिक,निवासी–ग्राम व पो–मोहम्मदपुर लाला,जिला–मेरठ ने हाई वोल्टेज लाइनों को शिफट कराने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। अपर–जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार प्रार्थना–पत्र पश्मिांचल विधुत वितरण खण्ड मेरठ को भेज दिया गया है।
(कार्यवाही–पश्मिांचल विधुत वितरण खण्ड मेरठ)

(6) दिनांक 30 जुलाई 2021 को बैठक में एजेन्डा बिन्दुओं में ब्रिगेडियर तौमर,निवासी–डिफेन्स एन्कलेव की तरफ से दो बिन्दु आये है। प्रथम कि उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–1308/नौ–9–1999 दिनांक 13 मई 1999 के अनुसार उ0प्र0 में शहीद की विधवा को गृह कर मे छूट का प्रावधान है। यह छूट वीरता पुरस्कार विजेताओं को भी होनी चाहिए। दूसरा कि जब कोई भूतपूर्व सैनिक अन्य राज्य से अपना शस्त्र लाईसेन्स नवीनीकरण/रजिस्ट्रेशन जनपद मेरठ में या उ0प्र0 के अन्य जिले में करवाता है तो उसमे फीस बहुत ज्यादा है तथा कार्यवाही बहुत कठिन है। इन दोनो बिन्दुओं पर अपर जिलाधिकारी महोदय ने उ0प्र0 शासन को जिलाधिकारी महोदय मेरठ की तरफ से एक पत्र लिखने की संस्तुति की है।
(कार्यवाही–जिलाधिकारी कार्यालय मेरठ।)

(7) दिनांक 30 जुलाई 2021 को बैठक में एजेन्डा बिन्दुओं में एक बिन्दु आया है कि जनपद–मेरठ के केन्द्रीय विधालय में भूतपूर्व सैनिक की विधवा अथवा कोविड के कारण किसी एक्स सर्विसमैन की मृत्यु हो जाने के कारण उनके बच्चों का केन्द्रीय विधालय में एडमिशन किया जाना चाहिए। इस पर अपर–जिलाधिकारी महोदय ने आदेश दिये कि पहले पालिसी का पता करे तथा यह अवगत कराये कि पालिसी में किसका अहम रोल है। उसके उपरान्त उनसे पत्राचार करे।
(कार्यवाही–जिला सैनिक कल्याण एवॅ पुनर्वास अधिकारी मेरठ)

कृपया पेज 2/

(8) दिनांक 30 जुलाई 2021 को बैठक में एजेन्डा बिन्दुओं मे एक बिन्दु आया है कि एक्ससर्विसमैन की जो पुलिस सम्बन्धी शिकायते है उनका निर्धारित समय सीमा के अन्दर निस्तारण किया जाना चाहिए। इस पर बैठक में उपस्थित पुलिस अधीक्षक महोदय ने आश्वासन दिया कि समस्याओं का निस्तारण समय से किया जायेगा।
(कार्यवाही–वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,मेरठ)

(9) दिनांक 30 जुलाई 2021 को बैठक में एजेन्डा बिंन्दुओं में एक बिन्दु आया है कि उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–583/94–स्टा0नि0—–2018–700(03)/2018 दिनांक 20 जून 2018 के अनुसार राज्य में भूतपूर्व सैनिक,शहीद सैनिक की पत्नी तथा उसके आश्रितों को प्रोपर्टी खरीदने में रू 20,00,000/–तक स्टाम्प डयूटि माफ है। चूँकि प्रोपर्टी मंहगी हो गई है अतः इसकी सीमा रू0 40,00,000/– तक की जाये। तथा यह सुविधा भूतपूर्व सैनिक की पत्नी को भी दी जाये। इस पर अपर–जिलाधिकारी महोदन ने उ0प्र0 शासन को जिलाधिकारी महोदय,मेरठ की तरफ से एक पत्र लिखने की संस्तुति की है।
(कार्यवाही–जिलाधिकारी,कार्यालय मेरठ)

(10) दिनांक 30 जुलाई 2021 को बैठक में एजेन्डा बिन्दुओं में एक बिन्दु आया है कि उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–177विविध /2013–7 विविध/2009 के अनुसार वीरता पुरस्कार से सम्मानित सैनिकों को बसो में निःशुल्क बस यात्रा सुविधा प्रदान की गई है। अतः यह सुविधा मेरठ में जो मैट्रो का कार्य चल रहा है उसमें भी दी जानी चाहिए। इस पर अपर जिलाधिकारी महोदय ने आदेश दिया कि पता किया जाये कि जहा मैट्रो चल रही है। वहा यह सुविधा दी जा रही है अथवा नही।
(कार्यवाही–जिला सैनिक कल्याण एव पुनर्वास,अधिकारी मेरठ)

(11 दिनांक 30 जुलाई 2021 को बैठक में एजेन्डा बिन्दुओं में एक बिन्दु आया है उ0प्र0 सरकार द्वारा शहीद सैनिकों के आश्रितों को ग्रुप सी एवॅ ग्रुप डी में रोजगार देने का प्रावधान है। चूँकि अधिकारी भी काफी संख्या में शहीद होते है, अतः ग्रुप ए या ग्रुप बी में भी यह सुविधा दी जानी चाहिए। इस पर अपर जिलाधिकारी महोदय ने एक पत्र उ0प्र0 शासन को जिलाधिकारी महोदय मेरठ की तरफ से लिखने की संस्तुति की है।
(कार्यवाही–जिलाधिकारी कार्यालय,मेरठ)

(12) दिनांक 30 जुलाई 2021 को बैठक में एजेन्डा बिन्दुओं में एक बिन्दु आया है उ0प्र0 के अधिकारी/कर्मचारियों को दिल्ली हाईवे पर टोल टैक्स माफ किया जाना चाहिए। इस पर अपर–जिलाधिकारी महोदय ने एक पत्र जिलाधिकारी महोदय मेरठ की तरफ से उ0प्र0 शासन को लिखने की संस्तुति की है।
(कार्यवाही–जिलाधिकारी कार्यालय,मेरठ)

अन्त में कैप्टन(आई एन) राकेश शुक्ला(अ0प्रा0) ,जिला सैनिक कल्याण एवॅ पुनर्वास अधिकारी,मेरठ ने बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों एवॅ पूर्व सैनिकों/उनकें आश्रितों का बैठक में उपस्थित होने के लिए आभार व्यक्त किया। इसी के साथ बैठक सम्पन्न हुई ।

09/08/21

कैप्टन(आई एन) राकेश शुक्ला(अ0प्रा0)
अधिकारी

अपर–जिलाधिकारी, (नगर)मेरठ

पत्रांकः जि0सै0क0पु0/जि0सै0बन्धु/कार्यवृत्त–जुलाई/2021, दिनॉकः 09 अगस्त ,2021

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1. जिलाधिकारी महोदय, मेरठ को अवलोकनार्थ ।
2. निदेशक, निदेशालय,सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,उ0प्र0,लखनऊ ।
3. जिला सैनिक बन्धु के समस्त पदाधिकारियों को ।
4 सम्बन्धित विभाग– को इस आशय से प्रेषित कि लम्बित प्रकरणों पर तुरन्त कार्यवाही कर आख्या उपलब्ध करायें ।